

प्रका.

एवं ०००० सिंह

दिशेश सचिव

उम्मीद शासन।

सेवा में

निर्देशक,

राज्य नगरीय विकास अभियान,

उम्मीद, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

दुर्घटना

लखनऊ : दिनांक ०२ जून, 2015

विषय:- शहरी गरीबों के लिये अत्यसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय मणिन वस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1053/76/एक/2013-14 दिनांक 15 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय मणिन वस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 से जलपद-रामपुर की निकाय-रामपुर की 12 आवासों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-1619/69-1-2014-38(आसरा-37)/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 द्वारा ₹0 49.46 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹0 24.73 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि ₹0 24.73 लाख (रुपये चौंबीस लाख तिहात्तर हजार मात्र) की द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल राहोदय निम्नलिखित रूपों/प्रतिवर्धों के अधीन राहें स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)


क्र०	जलपद/ सं० का नाम	कुल आवासों की संख्या	सामान्य दरों के लाभार्थियों आवासों संख्या	परियोजना की कुल आवासीय लागत	सामान्य दरों लाभार्थियों परियोजना की कुल आवासीय लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत को जाने याती धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रामपुर/ रामपुर	12	12	49.46	49.46	24.73
	योग		12	49.46	49.46	24.73

(रुपये चौंबीस लाख तिहात्तर हजार मात्र)

- उक्त धनराशि द्वा द्वय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी)दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णान्पेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तापुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर राक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा राक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

१. इन्हें लाए जाएं तो उपर्युक्त कानूनी विवरण अनुसार इन विवरणों का सम्बन्ध अधिक अधिक होता है। इन विवरणों के अधीन आपने यह वर्णन की विवरणम् प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए उपर्युक्त कानूनी विवरणों का उपयोग किया।
२. उक्त धनराशि राजन/जनराजनों द्वारा एवं राजनीतिज्ञ/व्यापक व्यक्ति द्वारा एवं अन्य विवरणों के अधीन उपयुक्तानुसार निर्धारित महं ग्रे इवड वै जानकी योजनानुसार निर्धारित विवरणों के अनुसार इन कोशल के मानदिव एवं मात्रा द्वारा विस्तीर्ण प्रकार का परिवर्तित उन्नुमन्य दर्ता होता।
३. उक्त धनराशि जिस कारी/माद में स्वीकृत की जा रही है, उसका यथा प्रत्येक टक्का भी उक्ती कारी/माद के विषय जाए। समझी/उपर्युक्तों का कद विवरणीय विवरणों के अनुसार किया जाता है। विवरणम् एवं गुणवत्ता व पारदर्शित के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं विस्तीर्ण प्रकार का कास्ट एस्ट्रो उन अनुपात तभी होंगा।
४. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इह कारी दुरु दूरी ने राजन व अन्य अधिकारी किसी अन्य सौल से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कारी विस्तीर्ण विवरण योजना में सम्बन्धित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आदेशित परिवर्यव वे अन्तर्गत होंगे एवं तभी वे द्विरावृति/पुनरावृति न हो इसे सूडा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेग।
५. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वयव विवरण समिति द्वारा अनुमोदित अवधारणानुसार आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाते व वयव विवरण समिति द्वारा अधिसूचित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
६. उक्त धनराशि दैन के आधारण के पश्चात राज्य नगरीय विवाह अधिकरण व राज्यवानेष्ठत द्वारा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण करकर गुणवत्ता अदि विस्तीर्ण सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के उन्नापालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित दूरु/उपर्युक्त माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर दर भी उक्त धनराशि मात्र हरमूलों पर आश्वस्त हो लेंगे।
७. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०३०, लखनऊ व अन्य राज्य संघीय/संघीय अधिकारी विशेष सचिव, नगरीय राजगार एवं गरीब उन्नमूलन अधिकार विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
८. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (टैक्स), ३०३०, इताहाली व आदेश की पति के साथ कोषानार का नाम, बाऊधर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की दूसरा एवं तीसरी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्णनों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
९. उक्त धनराशि का उपयोग चातू वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में यथा लक्षण अवधारणा द्वारा दिए गए उक्त धनराशि वर्ण हो जाने के पश्चात उक्तके सार्वेक भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपर्युक्त धनराशि शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाट अनुपर्याप्त अवधि भौतिक वर्णन ही, तो एक अनुपालन शासन को वापस करनी होगी।
१०. निदेशक/संघीय, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०३०, लखनऊ आहरण की वर्णन पर आदेश के विवरण जहालेखाकार के कार्यालय के लिए से अवश्य करायेगे।


1. परिवारों ने अनुमति दिलाई है कि यद्यपि वह घटनाचरण में अनुमति करने से पूर्व अनुमति (एच०पी०य०) लिखित किये जाने हेतु रुड़ा द्वारा सरकारीत दूड़ा को लिटरेस लिया जायेगा।
2. उपरोक्त एकत्रित का व्यय चाहूँ वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेरा शीर्षक "4216-आवास पर धूजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-आय-03-असरा योजना (आवासीय भवल)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह ओदेश वित्त विभाग द्वा कार्यालय जाप संख्या-2/2015/यो-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीप,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-566/2015/1555(1)/69-1-15, तदिनांक।

प्रतिसिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र०.20 सरोजनी नायडू मार्ग, इताहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लैस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. संघिय, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, रामपुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र० शासन।
6. वियोजन अनुभाग-4, 30प्र० शासन।
7. भुज्य योगाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ।
9. सहायक देव मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. शार्ट फाइल/कन्फ्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आना से,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।